पंजीकरण सं. आर.एन. 40596/83 डाक पंजी. संख्या-डी.एल. (एन.) 05/0084/09-11

इस अंक का मूल्य 2 रुपये

॥ ओ३म् ॥

युवा उद्घोष

केन्द्रीय आर्य युवक परिषद् (पंजीकृत) का पाक्षिक शंखनाद

कार्यालय : आर्य समाज कबीर बस्ती, दिल्ली-110007, चलभाष : 9810117464, 9868051444

केन्द्रीय आर्य युवक परिषद्
अन्तरंग सभा की बैठक
रविवार, दिनांक 28 अगस्त 2011
समय : दोपहर 3.00 बजे
स्थान : आर्य समाज, कबीर बस्ती,
पुरानी सब्जी मंडी, दिल्ली-7
सभी सदस्य समय पर पहुँचें।
-महेन्द्र भाई, राष्ट्रीय महान्मत्री

वर्ष-28 अंक-05 श्रावण-2068 दयानन्दाब्द 188 1 अगस्त से 15 अगस्त 2011 (प्रथम अंक) कुल पृष्ठ 4 वार्षिक शुल्क 48 रु.
Website : www.aryayuvakparishad.com aryayouthgroup@yahoogroups.com E-mail : aryayouth@gmail.com

केन्द्रीय आर्य युवक परिषद् की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक सार्वदेशिक सभा मुख्यालय में सम्पन्न

साम्प्रदायिक हिंसा रोकथाम विधेयक राष्ट्रीय एकता व हिन्दू विरोधी

आतंकवाद समूची मानवता के लिए खतरा -आर्य नेता डॉ. अनिल आर्य

सभा को सम्बोधित करते राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनिल आर्य व साथ में बाएं से श्री मनोहरलाल चावला, डॉ. वीरपाल विद्यालंकार, स्वामी आर्यवेश जी, महेन्द्र भाई, धर्मपाल आर्य व पीछे देवेन्द्र भगत, सुरेश आर्य व रामकुमार सिंह व दाएं सार्वदेशिक सभा भवन में परिषद् की बैठक का सुन्दर दृश्य

नई दिल्ली, रविवार, 17 जुलाई, 2011, केन्द्रीय आर्य युवक परिषद्, नई दिल्ली की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक महर्षि दयानन्द भवन, आसफ अली रोड, दिल्ली में परिषद् के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनिल आर्य की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में देश के विभिन्न प्रान्तों से लगभग 200 आर्य प्रतिनिधि सम्मिलित हुए।

आर्य नेता डॉ. अनिल आर्य ने संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् ने देश में साम्प्रदायिक हिंसा रोकने के लिए जिस विधेयक का प्रारूप तैयार किया है वह हिन्दू विरोधी एवं राष्ट्रीय एकता विरोधी है। यह भारतीय संविधान की मूल भावना के भी विरुद्ध है क्योंकि इससे देश के बहुसंख्यक वर्ग हिन्दुओं को प्रताड़ित करने का एक वर्ग विशेष को कानूनी अधिकार मिल जायेगा। इस विधेयक का केवल यह मानना कि बहुसंख्यक हिंदू ही हिंसा करता है तथा किसी अन्य वर्ग विशेष को दंडित करने का इसमें कोई प्रावधान नहीं है, यह समस्त हिन्दू समाज के लिए चिन्ता का विषय है। अतः केन्द्र सरकार से मांग की गई कि वह इसके प्रारूप पर सभी हिन्दू संगठनों की बैठक बुलाकर आम सहमति ली जाये।

डॉ. अनिल आर्य ने कहा कि आतंकवाद समूची मानवता के लिए खतरा है, लेकिन सरकार की वर्ग विशेष की तुष्टिकरण की नीति व लचर कानूनी व्यवस्था इसे और अधिक बढ़ावा दे रही है। वैदिक विरक्त मंडल के महामंत्री स्वामी आर्यवेश ने कहा कि आर्य समाज दिग्भ्रमित होती युवा पीढ़ी को संस्कारित करने के लिए युवा संस्कार अभियान चलायेगा तथा ग्राम, जिला स्तर पर सैकड़ों युवा चरित्र निर्माण शिविर लगाये जायेंगे। परिषद् के राष्ट्रीय महामंत्री महेन्द्रभाई ने कहा कि आज फिर अन्धविश्वास, पाखंड अपने चरम पर है, टी.वी. चैनल्स भी भोली-भाली जनता को भ्रमित कर रहे हैं, आर्य जन अपने क्षेत्र में जाकर इसके लिए भी जनजागरण अभियान चलायेंगे। वैदिक विद्वान प्रो. राम विचार ने धर्मान्तरण रोकने व शुद्धि अभियान पर बल दिया।

विभिन्न वक्ताओं ने कहा कि वर्ग विशेष की तुष्टिकरण की सरकारी नीतियां, आतंकवाद के प्रति लचर सरकारी तंत्र, अभी तक संसद हमले के दोषी अफजल व मुम्बई के आतंकवादी कसाब को फांसी न देना आतंकवादियों के हौसले बुलंद करता है। जम्मू कश्मीर में सेना को पूरे अधिकार व खुली छूट देने की केन्द्र सरकार से मांग की गई जिससे वह आतंकवाद का मुकाबला कर सके व राष्ट्रीय ध्वज जलाने वालों से सख्ती से निपट सके। मुम्बई बम कांड में शहीद लोगों को श्रद्धांजलि देकर अपराधियों को कठोर सजा देने की मांग की गई व बाबा रामदेव के सत्याग्रह पर गत 4 जून को रामलीला मैदान में हुई पुलिस कार्यवाही की निंदा की गई।

बैठक में आर्य नेता डॉ. वीरपाल विद्यालंकार, प्रो. जयदेव आर्य, चन्द्रशेखर शर्मा, योगेन्द्र शास्त्री, हरिचन्द स्नेही, गवेन्द्र शास्त्री, मनोहरलाल चावला, वीरेन्द्र योगाचार्य, रामकृष्ण शास्त्री, प्रवीन आर्य, देवदत्त आर्य, वेदप्रकाश आर्य, मायाराम शास्त्री, धर्मपाल आर्य, गोपाल जैन, के. अशोक गुलाटी, देवेन्द्र भगत, नीता खन्ना, प्रभा सेठी, महावीर सिंह आर्य, के.एल. राणा, सतीश सत्यम, सुरेश आर्य, यशोवीर आर्य, रामकुमार सिंह, संतोष शास्त्री, अनुपम आर्य, जितेन्द्रसिंह आर्य, रविन्द्र मेहता, चतरसिंह नागर, डॉ. ओमप्रकाश मान, दुर्गा प्रसाद कालरा, रामकृष्ण सतीजा, जगवीर सिंह आर्य, गोपाल जैन, ओम सपरा, सुरेन्द्र शास्त्री, विजय सभरवाल, प्रकाशवीर शास्त्री, अनिरूद्ध शास्त्री आदि ने अपने विचार रखे।

आर्यसमाज सैनिक फार्म धर्मार्थ समिति व कृष्णा महेश गायत्री संस्थान
के चतुर्थ वार्षिकोत्सव व तीज पर्व के उपलक्ष्य में

भव्य वैदिक सत्संग समारोह

रविवार 7 अगस्त 2011, प्रातः 10 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक
स्थान : आर्य समाज मंदिर, डब्ल्यू, 22-ए/2-ए, वेस्टर्न एवन्यू,
सैनिक फार्म, नई दिल्ली-62

कार्यक्रम

यज्ञ ब्रह्मा : आचार्य महावीर शास्त्री जी
अध्यक्षता : श्री दर्शनकुमार अग्निहोत्री (प्रधान, वैदिक साधनाश्रम, रोहतक व देहरादून)
मधुर संगीत : श्रीमती सुदेश आर्या
प्रवचन : डॉ. धर्मेन्द्र शास्त्री, आचार्य महेन्द्र भाई, श्रीमती उषा शास्त्री
संयोजक : डॉ. अनिल आर्य (राष्ट्रीय अध्यक्ष, केन्द्रीय आर्ययुवक परिषद्)
विशिष्ट अतिथि : माता शकुन्तला आर्या (पूर्व महापौर), श्री जितेन्द्र डावर,
ऋषिलंगर : दोपहर 2 बजे व जलपान सायं 5.30 बजे
प्रबन्धक : प्रभा सेठी, देवदत्त आर्य

आप सपरिवार इष्ट मित्रों सहित सादर आमंत्रित हैं
निवेदक
समस्त रहेजा परिवार, दिल्ली

सदी का काला कानून : साम्प्रदायिक एवं लक्षित हिंसा रोकथाम विधेयक

–विनोद बंसल

अभी हाल ही में यूपीए अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् द्वारा एक विधेयक का मसौदा तैयार किया गया है। इसका नाम साम्प्रदायिक एवं लक्षित हिंसा रोकथाम (न्याय एवं क्षतिपूर्ति) विधेयक 2011 [Prevention of Communal and Targeted Violece (Access to Justice and Reparations) Bill-2011] है। ऐसा लगता है कि इस प्रस्तावित विधेयक को अल्पसंख्यकों का वोट बैंक मजबूत करने का लक्ष्य लेकर, हिन्दू समाज, हिंदू संगठनों और हिंदू नेताओं को कुचलने के लिए तैयार किया गया है। साम्प्रदायिक हिंसा रोकने की आड़ में लाये जा रहे इस विधेयक के माध्यम से न सिर्फ साम्प्रदायिक हिंसा करने वालों को संरक्षण मिलेगा बल्कि हिंसा के शिकार रहे हिंदू समाज तथा इसे विरोध में आवाज उठाने वाले हिंदू संगठनों का दमन करना आसान होगा। इसके अतिरिक्त यह विधेयक संविधान की मूल भावना के विपरीत राज्य सरकारों के कार्यों में हस्तक्षेप कर देश के संघीय ढांचे को भी ध्वस्त करेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके लागू होने पर भारतीय समाज मे परस्पर अविश्वास और विद्वेष की खाई इतनी बड़ी और गहरी हो जायेगी जिसको पाटना किसी के लिए भी संभव नहीं होगा।

मजे की बात यह है कि एक समानन्तर व असंवैधानिक सरकार की तरह काम कर रही राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् बिना किसी जवाबदेही के सलाह की आड़ में केंद्र सरकार को आदेश देती है और सरकार दासत्व भाव से उनको लागू करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं जिस ड्राफ्ट कमेटी ने इस विधेयक को बनाया है, उसका चरित्र ही इस विधेयक के इरादे को स्पष्ट कर देता है। जब इसके सदस्यों और सलाहकारों में हर्ष मंडेर, अनु आगा, तीस्ता सीतलवाड़, फराह नकवी जैसे हिंदू विद्वेषी तथा सैयद शहाबुद्दीन, जॉन दयाल, शबनम हाशमी और नियाज फारूखी जैसे घोर साम्प्रदायिक शक्तियों के हस्तक हों तो विधेयक के इरादे क्या होंगे, आसानी से कल्पना की जा सकती है। आखिर ऐसे लोगों द्वारा बनाया गया दस्तावेज उनके चिंतन के विपरीत कैसे हो सकता है। जिस समुदाय की रक्षा के बहाने इस विधेयक को लाया गया है इसको इस विधेयक में 'समूह' नाम दिया गया है। इस समूह में कथित धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों के अतिरिक्त दलित व वनवासी वर्ग को भी सम्मिलित किया गया है। अलग-अलग भाषा बोलने वालों के बीच सामान्य विवाद भी भाषाई अल्पसंख्यक- बहुसंख्यक विवाद का रूप धारण कर सकते हैं। इस प्रकार के विवाद किस प्रकार के सामाजिक वैमनस्य को जन्म देंगे, इसकी कल्पना आसानी से की जा सकती है। विधेयक अनुसूचित जातियों व जनजातियों को हिंदू समाज से अलग कर समाज को भी बांटने का कार्य करेगा। कुछ वर्गों में पारस्परिक असंतोष के बावजूद उन सबका यह विश्वास है कि उनकी समस्याओं का समाधान हिंदू समाज के अंगभूत बने रहने पर ही हो सकता है। यह विधेयक मानता है कि बहुसंख्यक समाज हिंसा करता है और अल्पसंख्यक समाज उसका शिकार होता है। जबकि भारत का इतिहास कुछ और ही बताता है। हिंदू ने कभी भी गैर हिंदुओं को सताया नहीं, उनको संरक्षण ही दिया है। उसने कभी हिंसा नहीं की, वह हमेशा हिंसा का शिकार हुआ है। क्या यह सरकार हिन्दू समाज को अपनी रक्षा का अधिकार भी नहीं देना चाहती? क्या हिन्दू की नीयत सेक्युलर बिरादरी के संरक्षण में चलने वाली साम्प्रदायिक हिंसा से कुचले जाने की ही है? किसी भी महिला के शील पर आक्रमण होना, किसी भी सभ्य समाज में उचित नहीं माना जाता। यह विधेयक एक गैर हिन्दू महिला के साथ किये गये दुर्व्यवहार को तो अपराध मानता है परन्तु हिन्दू महिला के साथ किये गये बलात्कार को अपराध नहीं मानता जबकि साम्प्रदायिक दंगों में हिन्दू महिला का शील ही विधर्मियों के निशाने पर रहता है।

इस विधेयक में प्रावधान है कि 'समूह' के व्यापार में बाधा डालने पर भी यह कानून लागू होगा। इसका अर्थ है कि अगर कोई अल्पसंख्यक बहुसंख्यक समाज के किसी व्यक्ति का मकान खरीदना चाहता है और वह मना कर देता है तो इस अधिनियम के अन्तर्गत वह हिन्दू अपराधी घोषित हो जायेगा। इसी प्रकार अल्पसंख्यक को मानसिक कष्ट हुआ है तो वह भी अपराध माना जायेगा। अल्पसंख्यक वर्ग के किसी व्यक्ति के अपराधिक कृत्य का शाब्दिक विरोध भी इस विधेयक के अन्तर्गत अपराध माना जायेगा। यानी अब अफजल गुरु को फांसी की मांग करना, बांग्लादेशी घुसपैठियों के निष्कासन की मांग करना, धर्मान्तरण पर रोक लगाने की मांग करना भी अपराध बन जायेगा। दुनिया के सभी प्रबुद्ध नागरिक जानते हैं कि हिन्दू धर्म, हिन्दू देवी-देवताओं व हिन्दू संगठनों के विरुद्ध कौन विषवमन करता है। माननीय न्यायपालिका ने भी साम्प्रदायिक हिंसा की सेक्युलरिस्टों द्वारा चर्चित सभी घटनाओं के मूल में इस प्रकार के हिन्दू विरोधी साहित्यों व भाषणों को ही पाया है। गुजरात की बहुचर्चित घटना गोधरा में 59 रामभक्तों को जिंदा जलाने की प्रतिक्रिया के कारण हुई, यह तथ्य अब आयोगों के द्वारा स्थापित किया जा चुका है। अपराध करने वालों को संरक्षण देना और प्रतिक्रिया करने वाले समाज को दंडित करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं माना जा सकता। किसी निर्मम तानाशाह के इतिहास में भी अपराधियों का इतना बेशर्म संरक्षण नहीं किया गया होगा।

भारतीय संविधान की मूल भावना के अनुसार किसी आरोपी को तब तक निरपराध माना जायेगा जब तक वह दोषी सिद्ध न हो जाये। परन्तु इस विधेयक में आरोपी तब तक दोषी माना जायेगा जब तक वह अपने आपको निर्दोष सिद्ध न कर दे। इसका मतलब होगा कि किसी भी गैर हिंदू के लिए अब किसी हिंदू को जेल भेजना आसान हो जायेगा। वह केवल आरोप लगायेगा और पुलिस अधिकारी आरोपी हिन्दू को जेल में डाल देगा। इस विधेयक के प्रावधान पुलिस अधिकारी को इतना कस देते हैं कि वह उसे जेल में रखने का पूरा प्रयास करेगा ही क्योंकि उसके अपनी प्रगति रिपोर्ट शिकायतकर्ता को निरंतर भेजनी होगी। यदि किसी संगठन के कार्यकर्ता पर साम्प्रदायिक घृणा का कोई आरोप है तो उसे संगठन के मुखिया पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। इसी प्रकार यदि कोई प्रशासनिक अधिकारी हिंसा रोकने में असफल है तो राज्य का मुखिया भी जिम्मेदार माना जायेगा। यही नहीं किसी सैन्य बल, अर्द्धसैन्यबल यानी पुलिस के कर्मचारी को तथाकथित हिंसा रोकने में असफल पाए जाने पर उसके मुखिया पर भी शिकंजा कसा जा सकता है।

भारतीय संविधान के अनुसार कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है। केन्द्र सरकार केवल सलाह दे सकती है। इससे भारत का संघीय ढांचा सुरक्षित रहता है, परन्तु इस विधेयक के पारित होने के बाद इस विधेयक की परिभाषित 'साम्प्रदायिक हिंसा' राज्य के भीतर आंतरिक उपद्रव के रूप में देखी जायेगी और केंद्र सरकार को किसी भी विरोधी दल द्वारा शासित राज्य में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप का अधिकार मिल जायेगा। इसलिए यह विधेयक भारत के संघीय ढांचे को भी ध्वस्त कर देगा। विधेयक अगर पास हो जाता है तो हिन्दुओं का भारत में जीना दूभर हो जायेगा। देशद्रोही और हिन्दू द्रोही तत्व खुलकर भारत और हिन्दू समाज को समाप्त करने का षड्यंत्र करते रहेंगे, परन्तु हिन्दू संगठन इनको रोकना तो दूर इसके विरुद्ध आवाज भी नहीं उठा पाएंगे। हिन्दू जब अपने आपको कहीं से भी संरक्षित नहीं पायेगा तो धर्मान्तरण का कुचक्र तेजी से प्रारम्भ हो जायेगा। इससे भी भयंकर स्थिति तब होगी जब सेना, पुलिस प्रशासन इन अपराधियों को रोकने की जगह इनको संरक्षण देंगे और इनके हाथ की कठपुतली बन देशभक्त हिन्दू संगठनों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए मजबूर होंगे।

इस विधेयक के कुछ ही तथ्यों का विश्लेषण करने पर इसका भयावह चरित्र सामने आ जाता है। इसके बाद आपातकाल में लिये गये मनमानीपूर्ण निर्णय भी फीके पड़ जायेंगे। हिन्दू का हिन्दू के रूप में रहना मुश्किल हो जायेगा। देश के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने पहले ही कहा था कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला अधिकार है। यह विधेयक उनके इस कथन का ही एक नया संस्करण लगता है। किसी राजनीतिक विरोधी को भी इसकी आड़ में कुचलकर असीमित काल के लिए किसी भी जेल में डाला जा सकता है।

इस खतरनाक कानून पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करते हुए विश्व हिन्दू परिषद की केन्द्रीय प्रबंध समिति की अभी हाल ही में सम्पन्न प्रयाग बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि विहिप इस विधेयक को रोलट एक्ट से भी अधिक खतरनाक मानती है और सरकार को चेतावनी देती है कि वह अल्पसंख्यकों के वोट बैंक को मजबूत करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हिन्दू समाज और हिन्दू संगठनों को कुलचने के लिए अपनी कुत्सित और अपवित्र इरादे को छोड़ दे। यदि वे इस विधेयक को लेकर आगे बढ़ते हैं तो हिन्दू समाज एक प्रबल देशव्यापी आंदोलन करेगा। विहिप ने देश के राजनीतिज्ञों, प्रबुद्ध वर्ग के हिन्दू समाज तथा पूज्य संतों से अपील भी की है कि वे केंद्र सरकार के इस पैशाचिक विधेयक को रोकने के लिए सशक्त प्रतिकार करें। आइये हम सभी राष्ट्र भक्त मिलकर इस काले कानून के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हुए भारत के प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति को लिखें तथा एक व्यापक जन जागरण के द्वारा अपनी बात को जन-जन तक पहुंचायें। कहीं ऐसा न हो कि कोई हमें कहे कि अब पछताये क्या होत है जब चिड़ियां चुग गईं खेत।

329, संतनगर, पूर्वी कैलाश, नई दिल्ली-65

।। ओ३म् ।।

यदि आप आर्य युवा शक्ति की कार्यप्रगति की एक झलक देखना चाहते हैं तो अवश्य पधारें

केन्द्रीय आर्य युवक परिषद् का

33वाँ वार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन

बलमुपास्व

सानिध्य : स्वामी सुमेधानन्द जी महाराज व स्वामी आर्यवेश जी ❖अध्यक्षता आर्य नेता डॉ अशोक कुमार चौहान

विराट् आर्य बुद्धिजीवी सम्मेलन

रविवार, 4 सितम्बर 2011, प्रातः 10.30 से 5.00 बजे तक

स्थान : आर्य समाज, दीवान हाल, चांदनी चौक, दिल्ली-110006

विशेष आकर्षण

- ❖ राष्ट्र की ज्वलन्त समस्याओं में आर्य समाज की भूमिका पर विचार
- ❖ देश भर के चुने हुए आर्य युवा प्रतिनिधियों का भव्य समागम
- ❖ केन्द्रीय आर्य युवक परिषद् के भावी कार्यक्रम पर विचार
- ❖ आगामी राष्ट्रीय कार्यकारिणी व प्रान्तीय अध्यक्षों की नियुक्ति की घोषणा

यज्ञ : प्रातः 8.30 से 9.30 तक, अल्पाहार 9.30 से 10.30 तक, ऋषि लंगर 1 से 2 तक

आर्य समाज में उत्साह व जोश की एक नई लहर पैदा करने के लिए

आप सपरिवार इष्ट मित्रों सहित सादर आमन्त्रित हैं।

जहां नहीं होता कभी विश्राम ।। ओ३म् ।। आर्य युवक परिषद् है उसका नाम

बलमुपास्व

गांव, गली, चौराहे पर घर-घर यज्ञ रचायेंगे, धरती को स्वर्ग बनायेंगे

केन्द्रीय आर्य युवक परिषद् के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनिल आर्य व महामंत्री महेन्द्र भाई के नेतृत्व में

12 से 25 वर्ष तक के दो हजार युवाओं को यज्ञोपवीत से दीक्षित करने का युवा संस्कार अभियान

विस्तृत कार्यक्रम

1 रविवार, 14 अगस्त 2011, प्रातः 7 बजे
स्थान : आर्य समाज, सन्देश विहार, दिल्ली-34
संयोजक : श्रीमती सीमा कपूर, 9013221190

2 रविवार, 14 अगस्त 2011, प्रातः 10 बजे
स्थान : बाल्मीकि मन्दिर, रविदास नगर,नरेला, दिल्ली
संयोजक : श्री अरूण आर्य व श्री अनुज आर्य
सम्पर्क : 9818530543, 9716114610

3 रविवार, 14 अगस्त 2011, दोपहर 3 बजे
स्थान : शान्ति फार्म हाउस, नन्दग्राम, गाजियाबाद
संयोजक : श्री प्रवीन आर्य, श्री सौरभ गुप्ता
सम्पर्क : 9911404423, 9971467978

4 रविवार, 14 अगस्त 2011, सायं 4 बजे
स्थान : आर्य समाज, सैक्टर-7, रोहिणी, नई दिल्ली-85
संयोजक : श्री प्रदीप आर्य, श्री ओमप्रकाश चुघ
सम्पर्क : 9718712896, 011-20405820

5 सोमवार, 15 अगस्त 2011, प्रातः 8 बजे
स्थानःश्रद्धा मन्दिर हाई स्कूल, नहरपार, खेड़ी रोड
फरीदाबाद, संयोजक : श्री गजराजसिंह आर्य
सम्पर्क : 9213771515

6 सोमवार, 15 अगस्त 2011, प्रातः 10 बजे
स्थान : टीनू पब्लिक स्कूल, संगम विहार, दिल्ली-62
संयोजकः देवदत्त आर्य, के.एल.राणा, रामफल खर्ब
सम्पर्क : 9810323883, 9868889670, 9868847859

7 सोमवार, 15 अगस्त 2011, सांय 4 बजे
स्थान : आर्य समाज, सूर्य निकेतन, दिल्ली-92
संयोजक : श्री यशोवीर आर्य व श्री विकास गोगिया
सम्पर्क : 9312223472, 9999119790

8 मंगलवार, 16 अगस्त 2011, प्रातः 9 बजे
स्थान : विजय हाई स्कूल, सिक्का कालोनी, सोनीपत
संयोजक : श्री मनोहरलाल चावला व श्री हरिचन्द स्नेही
सम्पर्क : 09813514699, 09416693290

9 मंगलवार, 16 अगस्त 2011, प्रातः 9 बजे
स्थान : न्यू जॉन एफ कनेडी स्कूल,शिव कालोनी,पल्ला-1
फरीदाबाद, संयोजक : श्री विद्याभूषण आर्य
सम्पर्क : 9999108200

10 मंगलवार, 16 अगस्त 2011, सांय 6 बजे
आर्य समाज, टैगोर गार्डन (ए डी ब्लाक), दिल्ली-27
संयोजक : श्री रमेश गुप्ता व पं० सुरेशचन्द्र झा
सम्पर्क : 25169572, 9910933457

11 बुधवार, 17 अगस्त 2011, प्रातः 9 बजे
स्थान : आर्य समाज, बजीरपुर, जेजे कालोनी, दिल्ली-52
संयोजक : श्री रामहेत आर्य व श्री बीरेश आर्य
सम्पर्क : 9871084883, 9868992898

12 बुधवार, 17 अगस्त 2011, सायं 5 बजे
स्थान : आर्य समाज मोती बाग, नई दिल्ली-21
संयोजक : श्री ओमबीर सिंह, श्री सुरेन्द्र गुप्ता
सम्पर्क : 9868803585, 9968634685

13 वीरवार, 18 अगस्त 2011, प्रातः 9 बजे
स्थान : यादव भवन ढांसा रोड, नजफगढ़, दिल्ली
संयोजक : श्री रघुनाथ सिंह, श्री रमेश योगाचार्य
सम्पर्क : 9210593600, 9868899001

14 वीरवार, 18 अगस्त 2011, दोपहर 1 बजे
स्थान : आर्य समाज मॉडल बस्ती, दिल्ली-5
संयोजक : श्री अमरनाथ गोगिया, श्री गोपाल जैन
सम्पर्क : 23531587, 9810756571

15 वीरवार, 18 अगस्त 2011, सायं 5 बजे
स्थान : आर्य समाज मोहन गार्डन निकट उत्तम नगर,दिल्ली
संयोजक : श्री मानवेन्द्र शास्त्री व श्री संजीव चतरथ
सम्पर्क : 9213326949, 9891091702

16 शुक्रवार, 19 अगस्त 2011, प्रातः 9 बजे
स्थान : डॉ.भीम पार्क, प्रेम नगर, गली न.6, दिल्ली-8
संयोजक : श्री गौरव कुमार व श्री विक्रम कुमार
सम्पर्क : 9268329304, 9599165662

17 शुक्रवार, 19 अगस्त 2011, सायं 6 बजे
स्थान : आर्य समाज, रोहतास नगर, दिल्ली-32
संयोजक : श्रीमती विजयारानी शर्मा, 9311161291

18 शनिवार, 20 अगस्त 2011, प्रातः 9 बजे
स्थान : पार्क (के-160) जहाँगीरपुरी, दिल्ली-33
संयोजक : श्री गजेन्द्र आर्य व श्री रामभरोसे शाह
सम्पर्क : 9312749683, 9868504263

19 शनिवार, 20 अगस्त 2011, सायं 5 बजे
स्थान : आर्य समाज, महावीर नगर, दिल्ली-18
संयोजक : श्री दिनेश आर्य, श्री मायाराम शास्त्री
सम्पर्क : 9213637558, 9873107410

20 रविवार, 21 अगस्त 2011, प्रातः 8 बजे
स्थान : रामराज अनाथालय, वृंदावन गार्डन, साहिबाबाद
संयोजक : श्री सुरेश आर्य, श्री लक्ष्मण बाबा
सम्पर्क : 9810189585

21 रविवार, 21 अगस्त 2011, प्रातः 9 बजे
स्थान : आर्य समाज, Y-2111, मंगोलपुरी, दिल्ली-83
संयोजक : धर्मपाल आर्य, जगदीशशरण आर्य, महेन्द्र टांक
सम्पर्क : 9711523412, 9899190725, 9868995977

22 रविवार, 21 अगस्त 2011, प्रातः 10 बजे
स्थान : पार्क, डी.डी.ए फलैट, पाकेट-13, फेस-1, द्वारका
संयोजक : जीवनप्रकाश शास्त्री, सम्पर्क : 9868072383

23 रविवार, 21 अगस्त 2011, दोपहर 3 बजे
स्थान : आर्य समाज, शाहबाद मुहम्मदपुर, Opp. I.G.Airport
संयोजकः जगबीरसिंह आर्य, डॉ. मुकेश सुधीर
सम्पर्क : 9350099545, 9268103480

24 रविवार, 21 अगस्त 2011, सांय 4 बजे
स्थान : आर्य समाज, सैक्टर -15, फरीदाबाद
संयोजक : सत्यभूषण आर्य, जितेन्द्रसिंह आर्य
सम्पर्क : 9818897097, 9210038065

25 33वां राष्ट्रीय अधिवेशन व विराट् आर्य बुद्धिजीवी सम्मेलन

रविवार 4 सितम्बर 2011, प्रातः 10 से सायं: 5 बजे तक स्थान : आर्य समाज, दीवान हॉल, चांदनी चौक, दिल्ली-6

आह्वान : युवा संस्कार अभियान में सभी स्थानों पर यज्ञ, भजन, उपदेश व यज्ञोपवीत सस्कार होंगे 'यज्ञोपवीत' लेने के इच्छुक युवक/युवतियां स्थानीय संयोजक को 11रू दक्षिणा सहित 'प्रवेशपत्र' भरकर स्थान आरक्षित करवा लें जिससे यथोचित व्यवस्था की जा सके। सभी आर्यजनो, धर्मप्रमी बन्धुओं व अभिभावकों से अनुरोध है की अपने निकट के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर युवाओ को आशीर्वाद प्रदान करें।

दर्शनाभिलाषी

आचार्य गवेन्द्र शास्त्री	रामकुमारसिंह आर्य	संतोष शास्त्री	अनिरूद्व शास्त्री	शिशुपाल आर्य
प्रान्तीय प्रभारी	प्रान्तीय संचालक	प्रान्तीय महामंत्री	व्यायाम शिक्षक	प्रान्तीय उपसंचालक
9810884124	9868064422	9868754140	9868002130	9971550031

केन्द्रीय आर्य युवक परिषद् दिल्ली प्रदेश (पंजीकृत)

केन्द्रीय कार्यालय : आर्य समाज, कबीर बस्ती, पुरानी सब्जी मण्डी, दिल्ली -110007. मो.- 9810117464
Email: aryayouth@gmail.com • Website : www.aryayuvakparishad.com

सोनीपत में आर्य केन्द्रीय प्रतिनिधि सभा का भव्य सम्मेलन सम्पन्न

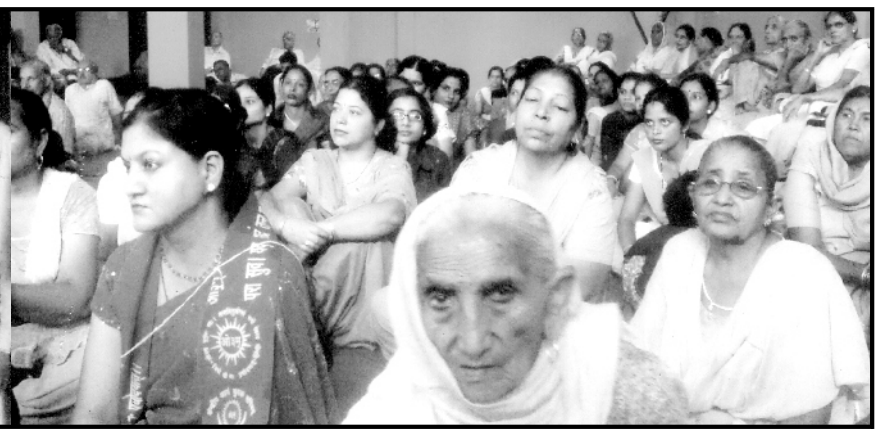

रविवार, 24 जुलाई 2011, आर्य केन्द्रीय प्रतिनिधि सभा सोनीपत के तत्वावधान में आर्य समाज खन्ना कॉलोनी में आर्य मंगल मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि डॉ. अनिल आर्य (राष्ट्रीय अध्यक्ष, केन्द्रीय आर्य युवक परिषद्) ने कहा कि हिन्दू जब तक संगठित नहीं होगा, तब तक केंद्र सरकार की नीतियाँ हिन्दू विरोधी बनती रहेंगी। परिषद् के महामंत्री श्री महेंद्र भाई ने 10 से 12 बजे तक यज्ञ सम्पन्न करवाया। समारोह की अध्यक्षता श्रीमती पवन दहिया ने की व डॉ. चन्द्रप्रकाश विशिष्ट अतिथि थे। समारोह का संचालन महामंत्री श्री हरिचंद स्नेही ने किया व प्रधान श्री मनोहर लाल चावला ने आभार व्यक्त किया। श्री सुरेंद्र खुराना, जवाहरलाल बत्रा, वीरेंद्र योगाचार्य, संतोष शास्त्री, अनिरुद्ध शास्त्री, दिनेश आर्य, महेंद्र शास्त्री, दीपा आर्या, हरबंसलाल अरोड़ा आदि प्रतिष्ठित आर्य बन्धु उपस्थित थे। प्रीतिभोज के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

झारखंड में केन्द्रीय आर्य युवक परिषद् ने लगाया नि:शुल्क चिकित्सा शिविर

रविवार, 17 जुलाई 2011, केन्द्रीय आर्य युवक परिषद् झारखंड के तत्वावधान में चतरा जिले में नि:शुल्क चिकित्सा शिविर व वस्त्र वितरण का कार्यक्रम प्रि.एल. आर. सैनी के सान्निध्य व श्री कृष्णप्रसाद कौटिल्य (महामंत्री) के नेतृत्व में लगाया गया। इस आदिवासी नक्सल प्रभावी क्षेत्र में इस कार्यक्रम की सभी ने सराहना की। स्वास्थ्य शिविर का लाभ 400 व्यक्तियों ने उठाया व 100 महिलाओं को साड़ियां वितरित की गईं व 100 वृद्धों को धोतियां वितरित की गईं। डॉ. नवीन आर्य, अभिजीत कुमार सिन्हा, महेन्द्र भाई जी, सुनील बत्रा, डॉ. अंजु आर्या, सत्यनारायण प्रसाद आर्य, कु. अनामिका, डॉ. देवदत्त आर्य, सत्येन्द्र आर्य, राजन रश्मि आदि का योगदान रहा। दानी महानुभावों से अपील की है कि उदारता पूर्वक सहयोग प्रदान करें।

आर्य समाज धनौरा, गाजियाबाद का उत्सव सम्पन्न

रविवार, 24 जुलाई, 2011, आर्य समाज धनौरा, गाजियाबाद में वेद प्रचार कार्यक्रम में संबोधित करते आर्यनेता श्री मायाप्रकाश त्यागी, साथ में स्वामी धर्मेश्वरानन्द जी, पं. आशाराम जी व श्री राधारमण आर्य। आचार्य राजेन्द्र जी ने यज्ञ करवाया। श्री नरेन्द्र आर्य, आनन्द प्रकाश आर्य, रविन्द्र त्यागी, सुधीर त्यागी, महेश शर्मा आदि का कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष योगदान रहा।

लाला ओमप्रकाश अग्रवाल प्रधान निर्वाचित

आर्यसमाज नांगलोई, दिल्ली के चुनाव में यज्ञशरण कुलश्रेष्ठ–संरक्षक,श्री ओमप्रकाश अग्रवाल–प्रधान, श्री अमरसिंह आर्य व श्री किशन प्रसाद आर्य– उपप्रधान, श्री हेमचन्द आर्य–महामन्त्री, श्री राजेन्द्र आर्य–मन्त्री व श्री महिपाल आर्य व श्री यशपाल कोषाध्यक्ष व युवा प्रधान कुलदीप आर्य, दिनेश आर्य चुने गये। **–रघुवर शास्त्री, प्रचार मंत्री**

शोक समाचार

1. आर्य समाज कृष्णनगर, दिल्ली के संरक्षक श्री विशम्भरनाथ अरोड़ा का गत दिनों निधन हो गया।

2. केन्द्रीय आर्य युवती परिषद् की मंत्री श्रीमती विम्मी अरोड़ा की सासुमां श्रीमती सुशीला अरोड़ा (श्री नवीन अरोड़ा की माताजी) का गत दिनों निधन हो गया।

केन्द्रीय आर्य युवक परिषद की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। –डॉ. अनिल आर्य

आर्य शिक्षा शास्त्री पुष्पारानी का जन्मोत्सव

सोमवार, 25 जुलाई 2011, आर्य समाज लाजपतनगर, नई दिल्ली के कर्मठ विद्वान मंत्री श्री सुरेन्द्र शास्त्री की धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पारानी का 63वां जन्मोत्सव हरिकृष्ण मंदिर लाजपतनगर में सौल्लास मनाया गया। समारोह का संचालन श्री रमेश गाडी ने किया। इस अवसर पर श्रीमती सविता गुप्ता (निगम पार्षद), राजेश मेहंदीरत्ता, प्रभा सेठी, पं. मेघश्याम वेदालंकार, सुभाष मल्होत्रा, चतरसिंह नागर आदि गणमान्य आर्यजन उपस्थित थे। केन्द्रीय आर्य युवक परिषद् की ओर से हार्दिक बधाई।

आर्य समाज सूर्य निकेतन में संगीत संध्या

आर्य समाज, सूर्य निकेतन, विकास मार्ग, दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सोमवार, 15 अगस्त 2011 को सायं 4 से 7.30 बजे तक श्री नरेन्द्र आर्य 'सुमन' की भव्य संगीत संध्या का कार्यक्रम रखा गया है। सभी आर्य जन सपरिवार पधारने की कृपा करें। - ऋषि लंगर रात्रि 7.30 बजे होगा।

भवदीय

यशोवीर आर्य	**विकास गोगिया**	**श्यामसुन्दर ठुकराल**
प्रधान	संयोजक	मन्त्री

सम्पादक: **अनिल कुमार आर्य** द्वारा केन्द्रीय आर्य युवक परिषद् के लिए **मयंक प्रिंटर्स**,2199/63, नाईवाला, करोलबाग, दिल्ली-5 दूरभाष : 41548504 मो. : 9810580474 से मुद्रित व परिषद् कार्यालय आर्य समाज टी-176-177, कबीर बस्ती, दिल्ली-7 से प्रकाशित, **प्रबन्धक** : दिनेश आर्य, मोबाइल : 9910649696, देवेन्द्र भगत, मोबाइल : 09312406810